

विषय - संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त ।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2016 की चतुर्थ तिमाही बैठक संस्थान के निदेशक, प्रो. सतीश चंद्र की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्मेलन कक्ष में हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए -

1. श्री एस.एस. गहरवार, प्रभागीय प्रमुख, बीईएस	सदस्य
2. श्री पी.वी. प्रदीप कुमार, प्रभागीय प्रमुख, ईएस	सदस्य
3. श्री यू.के. गुरुविठ्ठल, प्रभागीय प्रमुख, जीटीई	सदस्य
4. श्री सुनील जैन, प्रभागीय प्रमुख, पीई	सदस्य
5. श्री बिनोद कुमार, प्रभागीय प्रमुख, आरपी	सदस्य
6. डॉ. नीलिमा चक्रवर्ती, प्रभागीय प्रमुख, टीईएस	सदस्य
7. डॉ. नीरज शर्मा, प्रभागीय प्रमुख, सिविल	सदस्य
8. श्रीमती पवन छाबड़ा, प्रभागीय प्रमुख, पुस्तकालय	सदस्य
9. डॉ. बी.के. दुरई, प्रभागीय प्रमुख, पीएमई	सदस्य
10. श्री टी.के. आमला, प्रभागीय प्रमुख, आइएलटी	सदस्य
11. श्री बी.एम. शर्मा, समन्वयक अधिकारी, एमबीएसक्यू व बागवानी	सदस्य
12. सुश्री डी. विजयलक्ष्मी, प्रशासन नियंत्रक	सदस्य
13. श्री के.सी.पालीवाल, वित्त व लेखा अधिकारी	सदस्य
14. श्री तारिक बदर, भंडार व क्रय नियंत्रक	सदस्य
15. श्री संजीव शंकर, अनुभाग अधिकारी, स्थापना 2	सदस्य
16. श्रीमती संतोष खुट्टन, अनुभाग अधिकारी, स्थापना 1	सदस्य
17. डॉ. संगीता, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, एफपी	प्रतिनिधि
18. डॉ. रविंद्र कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, टीपी	प्रतिनिधि
19. श्री मोहम्मद इरशाद, तक. अधिकारी, टीएसडी	प्रतिनिधि
20. श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ आशुलिपिक, सतर्कता	प्रतिनिधि
21. श्री अवनीश कुमार, वित्त व लेखा अधिकारी	नामित सदस्य
22. श्री विनोद कुमार त्यागी, अधि.अभियंता, सिविल	नामित सदस्य
23. श्री आलोक रंजन, वैज्ञानिक, जीटीई	नामित सदस्य
24. श्री डी रविंद्र, तकनीकी अधिकारी, पीएमई	नामित सदस्य
25. श्री संजय चौधरी, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	सदस्य सचिव

डॉ. आर.एन.दत्ता, प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन एवं श्रीमती वंदना डी.सिंह, अनुभाग अधिकारी, कार्मिक छुट्टी पर होने या अन्य कारण से बैठक में शामिल नहीं हो सके । श्री आर.एस. भारद्वाज, प्रभागीय प्रमुख, टीएसडी, डॉई. मधु, प्रभागीय प्रमुख, टीपी, श्री मनोज कुमार शुक्ला, प्रभागीय प्रमुख, एफपी एवं श्री सुधांशु कुमार, अनुभाग अधिकारी, सतर्कता के प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित हुए ।

बैठक में सर्वप्रथम संस्थान के निदेशक व राकास के अध्यक्ष प्रो. सतीश चंद्र ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निदेशक महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव ने बैठक की कार्यसूची की मदों को क्रमशः प्रस्तुत किया।

मद सं. 1 - बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली तिमाही बैठक दिनांक 08.07.2016 को हुई थी। इसका कार्यवृत्त सभी सदस्यों को जारी किया गया था। कार्यवृत्त के बारे में किसी से कोई प्रतिकूल/संशोधन टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। तत्पश्चात् सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में की गई कार्रवाइयों पर मदानुसार प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। उन पर क्रमशः चर्चा की गई और निर्णय लिए गए।

मद सं. 1.1 - बैठक में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2016-17 के संदर्भ में महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा सितंबर 2016 में जारी अपील पर चर्चा की गई जिसमें हिंदी का उपयोग अनुवाद की भाषा के रूप में न करके मूल रूप से करने तथा सरकार के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया गया है। सदस्य सचिव ने बताया कि संस्थान के सभी अनुभागों/प्रभागों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2016-17 के लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुखों को ईमेल द्वारा इसकी एक प्रति भेजी गई है। लक्ष्यों के अनुसार 'क' एवं 'ख' क्षेत्र को जाने वाला मूल पत्राचार 100% हिंदी में होना चाहिए तथा 'ग' क्षेत्र के लिए 65% पत्राचार हिंदी में किया जाना अनिवार्य है। धारा 3(3) के अनुपालन तथा हिंदी के मूल पत्रों की मात्रा में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन पर हस्ताक्षर करने वाले अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों द्वारा इस बात की जांच कर ली जानी चाहिए कि मूल रूप से हिंदी में तैयार किया गया प्रारूप/पत्र भी संलग्न किया गया है। समिति ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।

कार्रवाई - सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख तथा हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी

मद सं. 2 - बैठक में संस्थान के अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्य सचिव ने बताया कि मुख्यालय से प्राप्त पत्रों के अनुसार तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े प्रामाणिक होने चाहिए तथा अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुभाग/प्रभाग में रखे गए रिकार्ड के अनुसार ही रिपोर्ट में वास्तविक आंकड़े भरे जाएं। इसके लिए अनुभाग/प्रभाग में रजिस्टर का नियमित रखरखाव किया जाना चाहिए। हिंदी में किए जाने वाले कार्य के संदर्भ में 75 प्रतिशत से अधिक व शतप्रतिशत कार्य करने वाले कार्मिकों के नाम का उल्लेख रिपोर्ट के अंतर्गत किया जाना भी आवश्यक है ताकि संस्थान के उन सभी कार्मिकों का अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जा सके जिन्होंने पिछली तिमाही के दौरान हिंदी में प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके साथ ही तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अंतर्गत हिंदी में काम करने वाले उच्च स्तर के अधिकारियों की संख्या व उनके कार्य के प्रतिशत से संबंधित विवरण भी दिया जाना चाहिए। समिति ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।

कार्रवाई - सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख

मद सं. 3 - बैठक में संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए अब तक की प्रगति पर चर्चा की गई। सदस्य सचिव ने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति को दिए गए कुछ आश्वासनों को पूरा कर लिया गया है तथा शेष आश्वासनों को पूरा करने के लिए

संस्थान के सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है। इसके लिए सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदी में काम करने के लिए कंप्यूटरों में माक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंडिक की सुविधा उपलब्ध है। कंप्यूटर पर हिंदी में सहजता से काम करने के लिए सीसीएन प्रभाग की सहायता ली जा सकती है। निदेशक महोदय ने निदेश दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य की मात्रा बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएं। यह भी आवश्यक है कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार तथा फाइलों पर टिप्पणी की मात्रा में भी वृद्धि की जाए।

कार्रवाई - सभी राकास सदस्य, सभी प्रमुख व प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन

मद सं. 4 - बैठक में संस्थान की गृह पत्रिका 'सड़क दर्पण' के प्रकाशन के संबंध में चर्चा की गई। सदस्य सचिव ने बताया कि पत्रिका की विषय सामग्री को अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इसके प्रकाशन से संबंधित कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई - राजभाषा अनुभाग

बैठक का उपर्युक्त कार्यवृत्त सभी संबंधितों को निदेशक महोदय के अनुमोदन से सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है।

(डॉ. विजयलक्ष्मी)

प्रशासन नियंत्रक

सेवा में -

1. निदेशक महोदय के निजी सचिव - सूचनार्थ
2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
3. प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन - संस्थान की वेबसाइट पर कार्यवृत्त को अपलोड कराने के अनुरोध सहित.

प्रतिलिपि -

1. वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, सीएसआईआर, नई दिल्ली,
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/कार्यवाहक निदेशक/वरि.हिंदी अधिकारी/हिंदी अधिकारी/प्रभारी
3. उपनिदेशक, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली
4. कार्यालय प्रति